ing the declaration of a lock-out. In order to make an investigation into the affairs of this Company, a Committee was constituted under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, on 18th May, 1974. The report of the Committee is under consideration of Government.

**समुद्री सीमाओं के बारे में तटवर्ती देशों के साथ समझौते**

*336. श्री माधव राव सिन्धिया :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर के तटवर्ती पड़ौसी देशों के साथ समुद्री सीमाओं संबंधी समझौते न होने के कारण विवाद उत्पन्न होने की सम्भावनाएं है, और

(ख) तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) हमें नहीं लगता कि बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर के पड़ौसी राज्यों के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न होगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून और राज्य प्रथा के स्थिर सिद्धांतों के अनुसार, ऐसे राज्यों के बीच जिनके तट आमने सामने है अथवा एक दूसरे से मिले हुये हैं, उनके बीच की जल सीमा समझौते के द्वारा तय होती है। समझौता न होने की स्थिति में, सम्बद्ध राज्यों के बीच की जल सीमा या तो एक मध्य रेखा द्वारा परिसीमन की जाती है अथवा एक ऐसी समदूरस्थ रेखा द्वारा जो सम्बद्ध राज्यों का प्रादेशिक जल क्षेत्र नापे जाने वाली आधारभूत रेखाओं के अनुसार खींची गई हो ।

(ख) अभी तक, सिंगापुर और सुमात्रा के बीच की जल सीमा भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समझौते द्वारा तय की जा चुकी है जो दिसम्बर 1974 में लागू हो गया है । जून 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार पाक जलडमरुमध्य के बीच ऐतिहासिक समुद्र में जल सीमा परिसीमित की गई । बंगलादेश के साथ भी दोनों देशों के बीच जल सीमा परिसीमित करने के लिए बातचीत चल रही है । भारत सरकार इस क्षेत्र के अन्य पड़ौसी देशों अर्थात्, बर्मा, पाकिस्तान, थाईलैंड और मालदीव गणराज्य के साथ भी सम्बद्ध क्षेत्रों में जल सीमा परिसीमित करने के लिए बातचीत करेगी ।

**Payment of "Flying Pay" to Pilots and Navigators**

*337. SHRI SAKTI KUMAR SARKAR: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state.

(a) whether the pilots and navigators are recruited in the Indian Air Force to perform flying duties;

(b) if so, whether the salary paid to them is in respect of such flying duties;

(c) whether in addition to the salary, they are also given "flying pay" irrespective of whether they perform "flying duties"; and

(d) if so, what is the justification for payment of such "flying pay" to them?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) Pilots and Navigators are recruited not only for flying duties but also to man the executive Cadre of IAF requiring flying background.

(b) The salary paid to the Pilots and Navigators is not only for the